न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज
स्वत्व वाद सं0–58/2020

मजीद मियाँ.....वादी

बनाम

रामचन्द्र प्रसाद कुशवाहा एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
20.03.2023	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। आज अभिलेख प्रतिवादीगण की ओर से दिये गये आवेदन दिनांक 13.09.2022 की सुनवाई एवं आदेश हेतु नियत है। **आदेश (ORDER)** प्रतिवादीगण की ओर से अपने आवेदन दिनांक 13.09.2022 में कहा गया है कि प्रस्तुत वाद में प्रतिवादीगण दिनांक 223.08.2021 को अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर बयान तहरीरी हेतु समयावेदन दिये। जिससे ससमय बयान तहरीरी दाखिल नही कर सके। अतः प्रतिवादीगण को न्यायालय के द्वारा दिनांक 26.05.2022 एवं दिनांक 27.06.2022 को बयान तहरीरी दाखिल करने से वंचित किया गया। आज दिनांक 13.09.2022 को प्रतिवादीगण अपना बयान तहरीरी दाखिल कर रहे है। प्रतिवादीगण अपने जीवकोर्पाजन हेतु रोजगार के सिलसिले में बाहर चले गये थे जिसके कारण निर्धारित समय सीमा के अंदर अपना लिखित कथन दाखिल नही कर सके। प्रतिवादीगण द्वारा जानबुझकर विलंभ नही किया गया है। अतः न्यायहित में बयान तहरीरी स्वीकार करना अति आवश्यक है। प्रतिवादीगण को बयान तहरीरी दाखिल करने से वंचित किये गये आदेश दिनांक 26.05.2022 एवं दिनांक 27.06.2022 को न्यायहित में वापस करते हुए बयान तहरीरी ग्रहण करने की कृपा करें। वादी की ओर से प्रतिवादीगण के आवेदन का मौखिक विरोध किया गया तथा कहा गया कि प्रतिवादीगण दिनांक 23.08.2021 को इस वाद में उपस्थित हुये थे तथा न्यायालय द्वारा पर्याप्त समय देने के बावजूद भी जानबूझकर अपना बयान तहरीरी दाखिल नही किया गया। जिस कारण दिनांक 26.05.2022 एवं दिनांक 27.06.2022 को न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगणों को बयान तहरीरी दाखिल करने से वंचित किया गया। अतः प्रतिवादीगणों का आवेदन खारिज किया जाय। उभय पक्षों को सुना गया। अभिलेख का अवलोकन किया।	

<u>न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज</u>
<u>स्वत्व वाद सं0–58/2020</u>

लगातार 20.03.2023	अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रतिवादीगण दिनांक 23.08.2021 को न्यायालय में अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित हुये तथा दिनांक 26.05.2022 एवं 27.06.2022 को उपस्थित प्रतिवादीगण को बयान तहरीरी दाखिल करने से वंचित किया गया। विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि किसी भी वाद का निस्तारण उभय पक्षों को सुनकर किया जाना चाहिए। जिससे वाद का निस्तारण अंतिम रूप से किया जा सके तथा वादों की बहुलता को रोका जा सके। अतः प्रतिवादीगण को अपना पक्ष प्रस्तुत कर वाद में संघर्ष करने का अवसर देना न्यायोचित प्रतीत होता है परंतु प्रतिवादीगण द्वारा विलंब से बयान तहरीरी दाखिल किया गया है। अतः न्यायहित में प्रतिवादीगण का आवेदन मो0–2000/– (दो हजार) रूपये हर्जे पर स्वीकार करते हुए दिनांक 26.05.2022 एवं 27.06.2022 के आदेश को वापस लेते हुए प्रतिवादीगण की ओर से दाखिल बयान तहरीरी को ग्रहण किया जाता है। आगामी दिनांक 10.04.2023 वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत। लेखापित अवर न्यायाधीश, प्रथम नरकटियागंज	